प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 30.10.2025

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 10.10.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुंसगत धारा 303(2) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात दिनांक 29.10.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त आमिर पुत्र शकील हाल निवासी न्यू मून लाइट स्कूल पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी गाँव चिरोडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को इण्डियन आयल पैट्रोल पम्प आवास विकास के पीछे से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की गयी 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी । उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ में अपने जुर्म को स्वीकार करते हुये बताया कि यह मोटर साइकिल मैंने राधे श्यामपार्क पुस्ता तिराहा चोरी की थी । मैं इसको बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आमिर पुत्र शकील हाल निवासी न्यू मून लाइट स्कूल पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी गाँव चिरोडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर चोरी, लूट व उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम से सम्बन्धित कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा छेडछाड करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 29.10.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि प्रतिवादी द्वारा वादिया के साथ छेडछाड कर जान से मारने की धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 74/351(3) बीएनएस के

अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त हर्ष कुमार पुत्र श्री सतीश निवासी जलालपुर ढिंढार थाना मुरादनगर गाजियाबाद उंम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मैंने पीडिता के साथ छेडछाड व धमकी देने की घटना कारित कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हर्ष कुमार पुत्र श्री सतीश निवासी जलालपुर ढिंढार थाना मुरादनगर गाजियाबाद उंम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से दिल्ली से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 03 शातिर वाहन चोर 1. गौरव पुत्र मोनेश कुमार निवासी A- 59 राधा डेयरी वाली गली निकट सरदार पटेल स्कूल थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष 2. हिमांशु पुत्र लाखन सिंह निवासी नानक डेयरी के पास संत नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 3. तौहीद पुत्र वली मोहम्मद निवासी डी -15 गली नं0-1 बृजपुरी नाला दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष को संत नगर बिजलीघर के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 02 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्त गौरव व हिमांशु ने बताया कि हमने एक मोटरसाइकिल 04 – 05 दिन पहले ही दिल्ली से चोरी की थी तथा अभियुक्त तौहीद उपरोक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने करीब 02 महीने पहले पेपर मार्केट दिल्ली से चोरी की थी। इन मोटरसाइकिल को हमने अभी तक छिपा कर रखा था। आज हम इन्हें बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. गौरव पुत्र मोनेश कुमार निवासी A- 59 राधा डेयरी वाली गली निकट सरदार पटेल स्कूल थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।
2. हिमांशु पुत्र लाखन सिंह निवासी नानक डेयरी के पास संत नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
3. तौहीद पुत्र वली मोहम्मद निवासी डी -15 गली नं0-1 बृजपुरी नाला दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त गौरव व हिमांशु उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में चोरी के 02-02 अभियोग तथा थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त तौहीद उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में वाहन चोरी के 10 अभियोग तथा थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 16.10.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया श्रीमती फरजाना पत्नी स्व0 श्री अहसान निवासी गली नं0 5 विश्वकर्मा बस्ती थाना मोदीनगर गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादिया के पति अहसान पर धारदार हथियार से हमला करना तथा अहसान द्वारा विरोध करने पर तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर उसकी हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना

मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/352/351(3)/103(1)/61(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया तत्पश्चात दिनांक 26.10.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त 01.मेजर उर्फ जावेद पुत्र आबिद 2. सुहेल पुत्र साबिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 30.10.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राशिद पुत्र सियालत निवासी ग्राम मछरी थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध देशी तमंचा.315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि दिनांक 16.10.2025 को मोदीनगर क्षेत्र में मैने अपने साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर इसी तमंचे से अहसान की गोली मार कर हत्या कर दी थी और हम मौका देखकर वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राशिद पुत्र सियालत निवासी ग्राम मछरी थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है व थाना भोजपुर पर मारपीट व आयुध अधिनियम के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। **(कुल अभियोग -03)**। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

वांछित अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सादिम
2. पूजा किन्नर
3. मोमीन पुत्र शकूर निवासी नोएडा

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध देशी तमंचा.315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.10.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मुजफ्फर पुत्र जाबिर निवासी मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाना तथा बिल्डिंग में ले जाकर दुष्कर्म करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व ¾(2) पोक्सो व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.10.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त मुजफ्फर उर्फ मुजफर पुत्र जाबिर निवासी ग्राम कयामपुर थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने बताया मैं पीडिता के घर के पडोस में चिनाई का काम करता था जिससे मेरी काफी दिनों से बातचीत थी। मैं पीडिता को बहला फुसलाकर घर से ले गया और मौका पाकर एक बिल्डिग में ले जाकर मैंने पीडिता के साथ गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुजफ्फर उर्फ मुजफर पुत्र जाबिर निवासी ग्राम कयामपुर थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।